अध्याय–11 निष्कर्ष

भारतीय चाय बोर्ड का गठन 1954 में किया गया था। फिर भी अपने अस्तित्व के पांच दशक के बाद भी भारत में 80 प्रतिशत से अधिक लघु उत्पादक चाय बोर्ड के विनियमों की परिधि से बाहर हैं। हमने पाया कि विभिन्न हितधारकों के कार्यकलापों को विनियमित करने की निरीक्षण प्रणाली कमजोर तथा अपारदर्शी थी। चाय बोर्ड हितधारकों द्वारा कारोबार सूचना का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में भी समर्थ नहीं था जिससे उनके कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और न ही सामयिक रीति में चाय सांख्यिकी संग्रहीत करने में यह समर्थ था। हमने भारत में चाय के नियामक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में चाय बोर्ड को अप्रभावी पाया। इसका अनुसंधान, विपणन तथा भारत में चाय के प्रोत्साहन जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों में इसके कार्यचालन की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

देश में चाय खेती की गिरती उत्पादकता के मूल कारणों में से एक पुराने बागान है। वाणिज्यिक रूप से अनुत्पादक झाडियों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ा है। इसलिए पुनःरोपण/स्थानापन्न रोपण, नवीकरण, छंटाई आदि के कार्यक्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। पुनः रोपण/स्थानापन्न रोपण के लक्ष्य काफी निम्न निर्धारित किए गए हैं और वर्तमान दर पर 2008 तक पुनःरोपण/स्थानापन्न रोपण के बकाया को पूरा करने के लिए अन्य 149 वर्ष लगेगें।

चाय बोर्ड ने अपनी किसी आर्थिक सहायता योजनाओं में न तो कोई लक्ष्य/परिणाम निर्धारित किए और न ही ऐसी योजनाओं के प्रभाव को मापने का कोई तन्त्र बनाया गया था। उत्पादकता बढ़ाने पर उद्देश्यित विभिन्न अन्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कमियां हैं। पुनःरोपण के लिए पूंजी निवेश तथा आर्थिक सहायता आवश्यकता की तुलना में सकल रूप से अपर्याप्त है। वाणिज्यिक रूप से अनुत्पादक झाडियों में निरन्तर वृद्धि एक गम्भीर चेतावनी है और जब तक कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उचित तथा सामयिक हस्तक्षेप नहीं किए जाते और जबतक नए बागानों के क्षेत्रों की खोज करने के प्रयास नहीं किए जाते हैं यह निकट भविष्य में चाय उद्योग को प्रमुख जोखिम खडा कर सकती है।

भारतीय चाय मूल रूप से अपनी अवर गुणवत्ता तथा प्रतिकूल उत्पाद मिश्रण के कारण अपने अन्य प्रतियोगियों की तुलना में निम्न कीमत वसूल करती है। परम्परागत चाय का उत्पादन नहीं बढ़ा है और परम्परागत चाय का वास्तविक उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से पर्याप्त रूप से नीचे गिर गया है। चाय बोर्ड आर्थिक सहायता की पात्रता के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में परम्परागत चाय के उत्पादन में वृद्धि निर्धारित करने में विफल रहा और उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के बावजूद/फैक्टरी अभिलेखों के उचित सत्यापन के बिना आर्थिक सहायता अनुमत की गई थी।

भारत की विश्व के प्रमुख चाय उत्पादन देशों के बीच उत्पादन की उच्चतम लागत है और बिक्री की लागत भी नीलामी वसूली की अपेक्षा उच्च है। फिर भी चाय बोर्ड ने उन घटकों की पहचान करने के लिए नियमित लागत अध्ययन निर्धारित नहीं किए जो लागत कटौती में सहायता करेंगें।

अनुसंधान कार्यकलाप फलदायक नहीं हैं क्योंकि न तो चाय उद्योग के उपयोग के लिए कोई डिलिवरेबल्स हस्तान्तरित किए गए है और न ही कोई पेटेंट दाखिल किए गए हैं। यह अपर्याप्त निगरानी और जनशक्ति तथा संसाधनों की कमी के कारण है। चाय बोर्ड आई.टी. पोर्टल परियोजना की ई–कामर्स पहल के कार्यान्वयन में चाय उद्योग के अनुरूप कार्य करने के साथ साथ पश्च कार्यान्वयन आई.टी. पोर्टल परियोजना के लिए उनकी वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित करने में असफल रहा।

अपने विदेशी कार्यालयों के माध्यम से नए बाजारों की खोज सहित बाजार विविधता प्रयास और अन्य संबर्धन कार्यकलापों से कोई प्रभावी परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और निर्यात अधिकांशतः स्थिर रहे हैं। बोर्ड के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सरकारी बजटीय सहायता अपर्याप्त है। भारत में उत्पादित सभी चाय पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क से संसाधानों की उत्पत्ति भी पर्याप्त नहीं है। उपकर की दरें लगभग तीन वर्षों से 14 वर्षों से अधिक के बीच के भिन्न अन्तरालों पर संशोधित की गई हैं। अधिकतम 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर पर उपकर की सीमा काफी पहले 1986 में निर्धारित की गई थी। निधियों की आन्तरिक उत्पत्ति पर्याप्त नहीं थी।

इस प्रकार चाय बोर्ड को अधिक दक्षतापूर्वक तथा प्रभावीरूप से अपने नियामक कार्यों को निभाने के लिए अपनी नीतियों तथा योजनाओं में संरचनात्मक तथा नीतिगत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय चाय की उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने तथा लागत कम करने में चाय बोर्ड के खराब निष्पादन को ध्यान में रखकर हमारा विचार है कि सरकार को चाय बोर्ड के सम्पूर्ण कार्यचालन की समीक्षा करने और भविष्य में इसके अस्तित्व तथा भूमिका पर साकल्यवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सरकार अपने कार्यक्रमों, योजनाओं, सुपुर्दगी तन्त्रों की पुनः अभिकल्पना करने पर भी विचार करे और समस्याएं, जो भारत में चाय उद्योग को त्रस्त कर रही हैं, के प्रभावी समाधान के लिए उच्च वित्तीय परिव्यय आवंटित करे।

(गीताली तारे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक